

र्गज र र एसं. डम्प्./एम. थी. 561

वाइसंत्म नं 0 उब्ल् 0 पी 0--41

नाइसेन्स ट. पोस्ट एट कत्सेशनस रहे

सरकारी गजर, उत्तर मदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारया

विधायो परिशिष्ट

ु भाग—1, खण्ड (क) 🛒 🗓

् (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, ६ श्रक्तूबर, 1989

ग्रिविन 14, 1911 शक सम्बत्

ु उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी स्रनुभाग-1]

संख्या 1939/सल्लह-वि- 1-1(क) 35-1989

लंदनऊ, ६ अक्तूबर, 1989

श्रीधसूचना _{विविध}

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमश्रव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1989 के रूप में सर्वेसाधारण की सुचतार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश प्रधिनियम संख्या 25 सन् 1989] (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पोरित हुंग्रा)

उत्तर प्रदेश में लखनक में डाक्टर मीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की स्थापना की, और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

ग्रधिनियम

ेच्चिक स्वर्गीय डाक्टर भीमराव अम्बेटकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के स्मारक के रूप में लखनक में एक एंकिक शिक्षण और शोध आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करना समीचीन हैं: भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नीलीखत अधिनियम बनाया जाता हैं:-

प्रध्याय--एक प्रारम्भिक

संक्षिप्तं नाम भीर प्रारम्भ

- 1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेशं डाक्टर भीमराव ग्रम्बेदकर विश्वविद्यालय ग्रधिनियम, 1989 कहा जायगा।
- (2) यह ऐसे दिनांक की प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, ग्रिधसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाये

2--इस ग्रधिनियम में,--

- (क) "विद्या परिषद्", "सभा" श्रीर "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की श्रमणः विद्या परिषद्, सभा श्रीर कार्य परिषद् से है;
 - (ख) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;
- (ग) "छात्र निवास" का तात्पर्ये विश्वविद्यालय द्वारा ग्रनुरक्षित छात्रों के निवास की इकाई से है जिसमें पाठन श्रीर भ्रन्य श्रनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो ;
 - (घ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रों के निवास की इकाई से है:
 - (इ.) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों हारा विहित से है ;
- (च) "विनियम" का तात्पर्य इस ग्रधिनियम के ग्रधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये किसी विनियम से है;
- (छ) "नियम" का तात्पर्य इस श्रधिनियम के श्रधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम से है;
- (ज) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन यनाये गये विश्वविद्यालय के कमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है ;
- (झ) "ग्रष्ट्यापक" के अन्तर्गत श्राचार्य, सह श्राचार्य, सहायक ग्राचार्य या विश्वविद्यालय में शिक्षण या शोध कार्य के लिये इस श्रिधिनयम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;
- (হা) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्यधारा 3 के श्रधीन स्थापित डाक्टर भीमराव श्रम्बेदकर विश्वविद्यालय से है।

श्रध्याय --सो विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमनः

- 3—(1) लखनऊ में डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के नाम से एक ऐकिक, शिक्षण और शोध आवासिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी।
- (2) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति ग्रीर प्रथम कुलपति ग्रीर सभा, कार्य परिषद् ग्रीर विद्या परिषद् के प्रथम सदस्यों ग्रीर ऐसे सभी व्यक्तियों को जो एतत्पश्चात् ऐसे ग्रिधकारी या सदस्य हो जायं, ग्रीर ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किये रहें, एतद्द्वारा डाक्टर भीमराव ग्रम्बेदकर विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है।

विश्वविद्यालय सभी वर्गी भीर मतावलिम्बयों के लिये होगा

- 4- विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों, किन्तु इस घारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाट्यत्रम में अध्यादेशों द्वारा श्रवघारित संख्या से श्रधिक छात्र प्रविष्ट करने की श्रपेक्षा है:
- परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपवन्ध बनाना मना है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5 - विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण और शोध द्वारा और अपने सामुदायिक जीवन के उदाहरण और प्रमाव द्वारा ज्ञान, प्रज्ञान, प्रौर वोध का प्रसारण करना और उन सिद्धान्तों के प्रध्ययन को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना होगा जिनके लिये भी मराव श्रम्बेदकर ने अपने जीवन पर्यन्त कार्य किया, अर्थात् राष्ट्रीय एकीकरण, मामाजिक न्याय, जीवन की लोकतंत्रात्मक पद्धति, विश्व के संविधानों का इतिहास, उच्च प्रौद्योगिकी और भाष्ट्रीन किवान।

6--विश्वविद्यालय की निम्नलिख्ति श्रवित श्रीर वर्तव्य होंगे, श्रयत्:--

विष्वविद्यालयः की शक्तियां स्रोर कर्त्तंव्य

- (क) ऐसे विषयों की ऐसी विधायों में जो विस्विवद्यालय समय-समय पर स्रवधारित करे, स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था करना;
- (ख) शिक्षा की नयी प्रणाली का प्रयोग करना जिससे कि ऐसी शिक्षा का सन्तोपजनक मानक प्राप्त किया जा सके;

(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना ;

(घ) स्नातकोत्तर शिक्षाकी परोक्षाको आयोजन करना और ऐसी रीति से ऐसी उपाधि या अन्य गैक्षिक विशिष्टितायें और पदवी प्रदान करना जैसी परिनियमों ग्रींप ग्रध्यादेशों में निर्धारित की जाय

(ङ) ऐसी रीति संग्रौर ऐसी सर्तों पर जैसी परिनियमों में निर्धारित की जाय, सम्मा-निक (ग्रानरेरी) उपाधि,या श्रन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना ;

(च) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयो-जनों के लिए जैसा विश्वविद्यालय श्रवधारित करे, सहकार्य या सहयाग करना ;

- (छ) ऐसी छात्रवृत्तियां, श्रिष्ट छात्रवृत्तियां श्रीर पारितोषिक संस्थित करना श्रीर उन्हें प्रदान करना जैसा परिनियमो श्रीर ग्रध्यादेशों में निर्धारित किया जाय ;
 - . (ज) छात्र निवासों श्रीर छात्रावासों को संस्थित श्रीर पुरोषित करना;
- (झ) छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण श्रीर नियंद्रण व रना और उनमें श्रनुशासन को विनियमित करना श्रीर उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना ;
- (ञा) यथा स्थिति, दानी व्यक्तियों, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ताया स्रतरक से स्रनुदान, दान, सदान, उपकृति, वसीयत श्रीर जगम श्रीर स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का स्रतरण स्वीकार करना ;
- (ट) जो सन्मत्ति विश्वविद्यालय की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था ऐसी रीति से करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की समुद्धित के लिये ग्रावश्यक समझी जाय:
- (ठ) ऐसी फीस की श्रपेक्षा करना और उसे स्वीकार करना जैसी श्रध्यादेशों में निर्धारित की जाय;
- (ड) विश्वविद्यालय के प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली संसम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिध्चय करना ;
- (ढ) ऐसे पद सृजित करना भ्रौर उन पर ऐसे श्रधिकारियों, श्रध्यापकों श्रौर श्रन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिय श्रावश्यक हो ;
- (ण) ऐसे ग्रन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त मक्तियों के ग्रानुषंगिक हो या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्नावश्यक हों।

स्रध्याय - तीन विश्वविद्यालय के स्रधिकारी

7---विश्वविद्यालय के निम्नलिखित ग्रधिकारी होंगे--

विष्वविद्यालय के स्रधिकारी

कुलाधिपति

- (क) कुलाधिपति ;
- (ख) कुलपति ;
- (ग) वित्त श्रीधकारी ;
- (घ) कुल सचिव ;
- (ङ) संकारों के संकायाध्यक्ष ;
- (च) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;
- (છ) ऐसे ग्रन्थ प्रधिकारी जो परिनिदमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रधिकारी घोषित किये जायं।

8--(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति अपने पदाधिकार में विश्वविद्यालय के प्रधान और सभा के समापति होंगे और जब वे उपस्थित हों तब सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(2) सम्मानिक उपाधि या भ्रन्य सम्मानिक ग्रैक्षिक विभिष्टिता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुंबाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

- (3) कुलपित का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी सूचना या ग्रामिलेख, जिन्हें कुलाधिपित मांगे, प्रस्तुत करें।
- (4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य यक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या परितियमों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त की जायं।

कुसपति

- ५--(1) जुलपित विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतिनक अधिकारी होगा और नियमों में निर्धारित रीति से कुलाधिपित द्वारा नियुक्त किया जायगा ।
- (2) कुलपित ग्रपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की ग्रविध के लिए पद घारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपित को सम्बोधित ग्रीर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपित ग्रपना पद त्याग कर सकता है ग्रीर कुलाधिपित द्वारा ऐसा त्याग-पन्न स्वीकार कर लिये जाने पर वह श्रपने पद पर नहीं रह जायगा।

- (3) कुलपित की उपलब्धियां श्रीर सेवा की श्रन्य कर्ते ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष श्रादेश द्वारा श्रवधारित करे।
- (4) जहां कुलपित का पद छुट्टी लेने के कारण, या पदाविध की समाप्ति से भिन्न िकसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो और उसे विहित उपवन्धों के अनुसार सुविधा और शोधता से भरा न जा सकता हो, वहां कुलाधिपित िकसी उपयुक्त व्यक्ति की छः मास से धनिधक अविध के लिये नियुक्त कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति की अविध को समय-समय पर बढ़ा सकते हैं किन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अविध जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में विनिदिष्ट अविध भी है, एक वर्ष से अधिक न होगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियुक्त कुलपति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कुलपति द्वारा पद ग्रहण कर लेने पर पद पर न रहे जायगा।

(5) जहां कुलपित का पद रिक्त हो, वहां ज्येष्ठतम म्राचार्यं तव तक कुलपित के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, उपधारां (1) या उपधारां (4) के प्रधीन नियुवत कुलपित कार्यभार न सम्भाल ले।

कुलपति की शवितयां सौर कर्त्तव्य

- 10--(1) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक श्रौर शैक्षणिक श्रधिकारी होगा भोर--
 - (क) विश्वविद्यालय के कार्यंकलाप पर साधारण पर्यंवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;
 - (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिध्वयों को कार्यान्वित करेगा ;
 - (ग) कुलाधिपति की भ्रनुपस्थिति में सभा की वैठकों भ्रौर विश्वविद्यालय के दीक्षान्स समारोह का सभापतित्व करेगा ;
 - (घ) विश्वविद्यालय में श्रनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;
 - (क्ष) विश्वविद्यालय परीक्षायों का समृचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन ग्रीर संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षायों के परिणाम शीव्रता से प्रकाशित किये जायं ग्रीर विश्वविद्यालय का शिक्षा सब समृचित विनांक को प्रारम्भ ग्रीर समाप्त हो।
- (2) कुलपित कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् ग्रीर वित्त समिति का पदेन सदस्य ग्रीर ग्रध्यक्ष होगा ।
- (3) कुलपित को विश्वविद्यालय के किसी भ्रन्य प्राधिकारी या निकाय की वैठक में बोलने भीर भ्रन्यया भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (4) कुलपित का यह कर्तव्य होगा कि वह इस श्रिधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपवन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिष्ठित करे और कुलाधिपित की सक्तियों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले विमा उसे ऐसी सभी सक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त ग्रावश्यक हों।
- (5) कुलपति को कार्य परिषद्, समा, विद्या परिषद् ग्रौर वित्त समिति की बैठक वुलाने या दुलवाने की शक्ति होगी:

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह सक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां कोई ऐसा घत्यावश्यक मामला हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना श्रावश्यक हो भीर उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस श्रिधिनियम के द्वारा या श्रधीन सशक्त, विश्व-विद्यालय के किसी श्रिधिकारी या श्राधिकारी या श्रन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, वहां कुलपित ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे श्रीर श्रपने द्वारा की गयी कार्य-साही की तत्काल रिपोर्ट कुलाधिपित श्रीर ऐसे श्रीधकारी, प्राधिकारी या श्रन्य निकाय को भी देगा जो साधारण कम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

परन्तु यदि जसमें परिनियमों या ग्रध्यादेशों के जपवन्धों से कोई विजलत हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के विना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह स्रोर कि यदि ऐसे स्रधिकारी, प्राधिकारी या स्रन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिय थी तो वह मामला कुलाधिपति को निद्धिट कर सकता है जो या हो कुलपित हारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे स्रीर तदुपरान्त वह कार्यवाही यद्यास्थिति, स्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपित के श्रादेश के द्वारा या स्रधीन पहले की गयी किसी वात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तू यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के सधीन कुलपित हारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विश्व उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय की सूचना दी जाय, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को सपील करने का स्रोधकार होगा स्रोर तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपित द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्ट या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है।

- (7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपित को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ग्रीर जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।
- (8) जहां कुलपित द्वारा उपधारा (6) के ब्राधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी ब्रिधकारी या श्रध्यापक की नियुक्ति की गयी हो वहां, ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति की जाने पर या कुलपित के ब्रादेश के दिनांक से छ: मास की ब्रविध के ब्रवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी।
- (9) कुलपित ऐसी अन्य णिनतयों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाय।
- 11--(1) विश्वविद्यालय के लियें एक वित्त ग्रधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार, ग्रिधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी ग्रीर उसके पारिश्रमिक ग्रीर भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय हारां किया जायगा ।

वित्त अधिकारी

- (2) वित्त अधिकारी कार्यं परिषद् के समक्ष बजट (वाषिक अनुमान) और लेखा वित्ररण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की श्रोर से निधियों को निकालने श्रीर विश्वरित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- (3) उसे कार्य परिषद् में कोलने छौर उसकी कार्यवाहियों में ग्रन्यवा भाग लेने का श्रधिकार होग़ा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।
 - (4) वित्त प्रधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे ----
 - (क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) कोई व्यय जी वजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;
 - (ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को श्रस्वीकार करना जो इस श्रधिनियम के उपवन्धीं या किन्हीं परिनियमों या श्रध्यादेशों के निवन्धनों का उल्लंबन करता हो ;
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई ग्रन्य वित्तीय ग्रनियमितता न की जाय ग्रौर लेखा
 परीक्षा के दौरान उपर्दश्चित किन्हीं श्रनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना;
 - (घ) यह सुनिध्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति ग्रीर विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण ग्रीर प्रवन्ध किया जा रहा है।
- (5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तायेजों तक होगी भीर वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेसा कर सकेगा जो उसकी राय में उस के कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो।

- (6) वित्त श्रिष्ठकारी विश्वविद्यालय की श्रोर से सभी संविदा करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा
 - (7) वित्त भ्रधिकोरी की भ्रत्य शक्तियां भ्रौर कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

कृल सचिव

- 12--(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
- (2) कुल सचिव नियमों के ग्रनुसार नियुक्त किया जायगा ग्रीर उसकी सेवा की शर्ते नियमों द्वारा नियंत्रित होंगी।
- (3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की भ्रोर से श्रिभलेख श्रधिप्रमाणित करने की शक्ति
- (4) कुल सचिव, विष्वविद्यालय के प्रभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् प्रश्निरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद्, प्रवेश समिति और परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा भीर वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त मूचना प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये प्रावश्यक हो । वह ऐसे ब्रन्य कर्तेच्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों धौर ग्राप्यादेशों द्वारा विहित किये जाय या कार्य परिषद् या कुलपित द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह इस उपघारा को आधार पर मत देने को हकदार नहीं होगा।
- (5) प्रोक्षा समिति के ग्रधीक्षण के ग्रधीन रहते हुए, कुल सचिव परीक्षामों का संचालन करेगा श्रीर उनके लिए श्रावश्यक सभी श्रन्य प्रवन्ध करेगा श्रीर तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाश्री के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) कुल सचिव को नियमों में यथा उपविन्धत के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लियं कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा ग्रीर न वह स्वीकार करेगा।

ध्रश्चिकारी

1 3-कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी भीर कुल सचिवसे भिन्न, विश्वविद्यालय के प्रधि-कारियों की शक्ति वही होगी जो परिनियमों ग्रीर ग्रध्यार शों द्वारा निर्धारित की जाय।

ध्रद्याय--चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय हे प्राधिकारी

- 14--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:--
 - (क) कार्यपरिषद्;
 - (ख) सभा;
 - (ग) विद्या परिषद् ;
 - (घ) वित्त समिति ;
 - (इः) संकायों के बोर्ड;
 - (च) ब्रध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति ;
 - (छ) अवेश समिति ;
 - (ज) परीक्षा समिति ;
 - (झ) ऐसे प्रन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

वरिषद कार्य का गठन

- 15--(1) कार्यं परिषद् में निम्नलिखित होंगे--
 - (क) मूलपति-पदेन, जो उसका श्रध्यक्ष भी होगा;
 - (ख) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, बिहित रीति में चक्रानुक्रम में,--पदेन
 - (ग) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किये गये चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामावलीगत न हों या उसकी सेवा में न हों;
 - (ঘ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निदिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति।
- (2) कार्यं परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की ग्रवधि के लिये पद धारण करेंगें।
- (3)कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अविध के लिये कार्य परिषद् का सटस्य निर्वाचित या नाम-तिदिष्ट नहीं किया जायगा।

- (4) उपद्यारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के हिप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायगा जब तक कि वह स्नातकोत्तर उपाधि-धारी नहो।
- (5) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने श्रीर बने रहने के लिये अनह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में या उसके निमित्त, किसी काम के लिये कोई परिश्रमिक या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिये या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हों कर्तव्यों का पालन करने के लिये या किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छाल निवास या छालावास के अधीक्षक या वार्डन या प्राकटर या ट्यूटर के रूप में किन्हों कर्तव्यों के लिये या विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृष्ट किन्हों कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण —इस घारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी श्रधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है श्रीर इसके श्रन्तर्गत पत्नी (यापित) का भाई, पत्नी (यापित) का पिता, पंत्नी (यापित) की वहिन, भर्तीजा श्रीर भर्तीजी से है।

16 -- (1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यभालक निकाय होगा, श्रीर इस श्रिधिनयम के उपवन्धों के श्रधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगी, श्रथीत्--

्रेेे शक्तियां कर्तव्य । यंत्रण

कार्यपरिषद्की

- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों की धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;
- (दो) विश्वविद्यालय की श्रीर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का भू जैन या अन्तरण करना ;
 - (तीन) परिनियमों ग्रीर अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;
- (चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के ज्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना;
 - (पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;
- (छ:) परिनियमों भौर अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोधिक प्रदान करना ;
- (सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, श्रध्यापकों श्रीर श्रन्य कर्म चारियों को नियुक्त करना श्रीर उनके कर्नव्यों श्रीर उनकी सेवा की शर्तों को परिनिध्चित करना, श्रीर उनके पदों की श्रम्थायी, श्राकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;
 - (म्राठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां भीर याना ग्रीर ग्रन्य भत्ते नियत करना ;
- (नो) छात्र निवास, छात्रावास भ्रौर छात्रों के भ्रन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का भवन्य करना भ्रौर निदेश देना;
- (दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;
- (ग्यारह) विश्वविद्यालय के ग्रध्यापक वर्ग प्रशासिनक वर्ग भ्रोर भ्रन्य कर्म चारिवर्ग के सदस्यों में परिनियमों श्रौर अध्यादेशों के श्रनुसार भ्रनुशासन विनियमित भ्रौर प्रवर्तित करना;
- (वारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा,विनिधान, सम्पत्ति, कारोबार श्रीर श्रन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलायों का प्रवन्ध श्रीर विनियमन करना, श्रीर उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे श्रीकर्का नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे;
- (तेरह) विश्वविद्यालय के किसी घन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेवरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति कय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिये ब्रावश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर भीर साधित और ब्रन्य साधनों की व्यवस्था करना ;
- (पन्द्रह) विश्वविद्यालय की ग्रोर से संविदा करता, उनमें परिवर्तन करता, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(सोलह) इस ग्रिधिनियम, परिनियमों ग्रीर ग्रध्यादेशों के ग्रनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित भन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ;

- (2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद् बन्धक, विकय, विनिमय, दान या धन्यया विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्तिका (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न ही उसकी प्रतिमृतिपर सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से, कोई धन उद्यार या अग्रिम लेगी।
- (3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन भ्रोपेक्षित हो ग्रीर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिदाय कोई भी पद सूजित नहीं किया जायगा।
- (4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रीणयों के कर्मचारियों के बेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्ये संस्कार द्वारा श्रनुमोदित किये जायें।
- (5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रावर्ती और ग्रनावर्ती व्यय के लिये वित्त सिमिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।
- (6) विद्या परिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों की सलाह पर विचार किये विना कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, प्रह्ताग्रों और उपलब्धियों ग्रीर परीक्षकों को देय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।
- (7) कार्य परिषद् सभा के प्रत्यक संकल्प पर सम्धक रूप से विचार करेगी सौर उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह टीक समझे और सभा को यथास्थित, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।
- (8) कार्यं परिषद् परिनियमों में निर्धारित किन्हीं शतों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी ऐसी कोई शक्ति जैसी वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।

17--सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, श्रयत्--

्वर्ग एक --- परेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कार्यं परिषद् के सदस्य ;

(तीन) वित्त ग्रधिकारी;

वर्ग दो--ग्रध्यापकों ग्रादि के प्रतिनिधि

(चार) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष ;

(पांच) विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष ; (छ:) विश्वविद्यालय के छातावासों और छात निवासों के प्रोबोस्टों भीर वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चकानुकम से किया जायगा !

(सात) पांच श्रच्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जायगा;

वर्ग तीन-छात्रों के प्रतिनिधि

(ग्राठ) प्रत्येक संकाय का एक छात जिसका चयन विहित रीति से किया जायगा ;

वर्ग चार-राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

- (नौ) विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ;
- (दस) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न इस धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्यों की पदाः वधि, यथास्थिति, उनक नाम-निर्देशन यानिर्वाचन के दिनांक संतीन वर्ष होगी।

18-सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्--

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नोतियों और उसके कार्यक्रमों की समय-समय पर समोक्षा करना भौर विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय सुझाना ;

समा

समा की शक्तियां भीर कत्तव्य

सभा की 🖣 ठक

परिवद

বিয়া

- (ख) विश्वविद्यालयं की वार्षिक रिपोर्ट भीर वार्षिक लेखा भीर उनकी लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार करना भीर संकल्प पारित करना ;
- (ग) कुला धिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिय निर्दिश्ट किय जायें, सलाह देना ;
- ं (प्र)ऐसे श्रन्य कर्तब्यों का पालन करना धीर ऐसे श्रन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस श्रिष्ठिनियम या परिनियमों या जुलाधिपति द्वारा सींपे जायें।
- 19--(1) समा की बैठक वर्ष में एक बार इस दिनांक को होगी जो कुलपित द्वारा नियत की जाय और ऐसी बैठक समार्का वार्षिक बैठक कही जायेगी।
- (2) कुलपित, जब कभी यह ठीक समझे, सभाकी विशेष बैठक बुला सकता है, और सभा की तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-की पाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित श्रद्धप्रेक्षा पर सभाकी विशेष बैठक बुलायेगा।
- 20-(1) विद्यार्थारपद्विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी ग्रीर इस ग्रंधिनियम; परिनियमों ग्रीर झप्ट्यादेशों के उपवन्धों के अधीन रहते हुए ---
 - (क) विश्वविद्यालय का नियम्बण और साधारण विनियमन करेगी और उसमें दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले शोध कार्य के स्तर को बनाये रखने से लिये उत्तरदायी होगी;
 - (ख) विद्या जम्बन्धी सभी विषयों पर जिनके श्रन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालिक्ष परोक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी;
 - ं (ग) उसकी ऐसी क्रान्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे परिनियमों द्वारा प्रदेलें किये जायया उस पर श्रारोपित किये जाय।
 - (2) विद्यापरिपद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, प्रयत्--
 - (एक) कुलपति ;
 - (दो) विश्वविद्यालयं के सभी संकायों के संकायां व्यक्ष;
 - (तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक ;
 - (चार) विख्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;
 - (पांच) पांच प्रध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जायगा ;
 - (छः) छाल कल्याण के संकायाध्यक्ष ; 🚉
 - (सात) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ; ग्रीर
 - (ग्राट) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात तीन व्यक्ति जिन्हें विहित रीति से सहयोजित किया जायगा।
 - (3) पदेन सदस्यों से मिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी जो विहित की जाय।
 - 21 --- (1) वित्त समिति में निम्निकिति होंगे ---

विस समिति

- (क) जुलपति ;
- (छ) कुल सम्बद;
- (ग) कार्य परिषद् द्वारानिवांचित एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का सदस्य न हो या विद्यविद्यालय की सेवा में न हो;
 - (घ) वित्त ग्रधिकारी जो समिति का सिवन भी होगा।
- (2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की तम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सताह वेगी। वह विश्वविद्यालय की श्राय श्रीर संस्थाधनों को ध्यान में रखते हुए, ध्यागामी कितीय वर्ष के लिए कुल श्रावर्ती और श्रनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी श्रीर किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी श्रीर इस प्रकार नियत स्थिन को प्रनिश्त कर सकेगी श्रीर इस प्रकार नियत स्थिन को सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी श्रीर इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर श्रावद्ध कर होगी।
- (3) बिल लिमिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तत्र्य होंगे जो इस अधिनियम या पेरि-नियमों द्वारा उसे प्रदेत किय गांपंचा उसपर ग्रारीपित किये जायं।
 - ... 22 -- (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसे विहित किये जायं।
- (2) प्रत्यक संकोष में जिल्लाण के ऐसे दिसाग होंगे जै ने बिहित किये जायं भीर प्रत्येक विकास में ऐसे पाइन विषय होंगे जैने उने श्रुध्यादेशों हारा सीर्पे जाये।

- (3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदाविध भी है) श्रीर शक्तियां श्रीर कर्तव्य वही होंगे जो विद्वित किये जायं।
- (4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ग्राचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, अयेष्ठताक म में बना जायगा ग्रीर तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा।
 - (5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का भ्रध्यक्ष होगा भीर--
 - (क) संकाय के विभागों में शिक्षण और शोध कार्यों के संगठन और संचालन,
 - (ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, ग्रध्यादेशों ग्रौर विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा ।
- (6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग में एक विभागाव्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वाराविनियमित की जायगी ।
- (7) विभागाध्यक्ष, विभाग में शिक्षण के संगठन के लिये संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी श्रन्य शक्तियां श्रीर कर्तव्य होंगे जो श्रध्यादेशों में उपविध्यत किये आये।

प्रवेश समिति

- 23--(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जैसा श्रष्ट्यादेशों में उपबन्धित किया जाय ।
- (2) प्रवेश समिति को उतनी उप समितियां नियुवत करने की शक्ति होगी जितनी वह उचित समझे।
- (3) विद्या परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को निर्धारित करेगी।

परीका समिति

- 24--(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जसा ब्रह्मादेशों में उपबन्धित किया जाय।
- (2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षात्रों का, जिसके श्रन्तगैत श्रनुसीमन श्रोर सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, श्रोर निम्नलिखित श्रन्थ कृत्यों का सम्पादन करेगी, श्रयात्-
 - (क) परीक्षकों ग्रीर अनुसीमकों को नियुक्त करना ग्रीर यदि ग्रावश्यक हो, उन्हें इटाना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाध्रों के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना ग्रौर उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
 - (ग) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिये विद्या परिषद् को सिफारिश करना ;
 - (घ) म्रध्ययन वोडँ द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे ग्रासिम रूप देना ग्रीर परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।
- (3) परीक्षा समिति जतनी उप समितियां नियुवत कर सकती है जितनी वह उचित समझे, भीर विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिध्चय करने की मिनत प्रत्यायोजित कर सकती है।
- (4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति के लिये या यथा स्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये जिस परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्णित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

ध्य प्राधिकारी

25--विश्वविद्यालय के ग्रन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां ग्रीर करींव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायं।

श्चरयाय--परिस

अध्यापकों स्रीर स्रधिकारियों की नियुवित स्रीर सेवा की शत

ग्रध्यापको की नियुक्ति 26--- अध्यापक और अन्य कर्मचारी कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जार्येगे। अध्यापकों भीर अन्य कर्मचारियों की शहतायें चयन श्रीर नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां श्रीर सेवा की अन्य अतें ऐसी होंगी जैसी समय-समय पर विद्ति की जाय ।

वेशन, भन्निका निधि हत्यादि _ 27—विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों श्रीर अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से श्रीर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार द्वारा साधारण ग्रा विशेष श्रादेश से विनिर्विष्ट की जाय, ऐसी पेशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेंगी औंधी राज्य सरकार उचित समझ ।

श्रद्याय -छः

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

28—इस मधिनियम के उपबन्धों के मधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे—

परिनिधम

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी मन्तियां और कर्तव्य ;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति, श्रीर पदावधि, जिसके श्रन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, श्रीर उनकी सदस्यता में रिक्तियों को भरना श्रीर इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित श्रन्य सभी विषय जिनके लिए उपवन्ध करना श्रावश्यक हो ;
 - (ग) विश्वविद्यालय के भ्रधिकारियों की शक्तियां भीर कर्तव्य ;
- (घ) विष्वविद्यालय के ग्रध्यापकों का वर्गीकरण ग्रीर उनकी मर्ती (जिसके ग्रन्तगैत न्यूनतम ग्रहेता ग्रीर ग्रनुभव भी है), उनके द्वारा ग्रपती प्रगति रिपोर्ट का रखा जाता, उनके द्वारा ग्रनुपालनीय ग्राचरण नियम ग्रीर उनकी उपलब्धियां ग्रीर सेवा की ग्रन्य शतें;
- (ह) विश्वविद्यालय में अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की मर्ती (जिसके अन्तर्गत न्यूनतम प्रार्हता भीर अनुभव भी है) श्रीर उनकी उपलब्धियां श्रीर सेवा की श्रन्य शर्ते;
- (च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन या बीमा योजना की स्थापना ;
 - (छ) उपाधियां ब्रीर डिप्लोमा संस्थित करना ;
 - (ज) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना ;
- (झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पन्नों और ग्रन्य मौक्षिक विमिष्टिताओं को वापस लेना ;
 - (ञा) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उक्सादन और पुनर्गठन ;
- · (ट) संकायों में शिक्षण विभागों की स्थापना ;
 - (ठ) छात्र निवासों भीर छात्रावासों की स्थापना, उत्सादन और पुनर्गठन ;
- (ड) छाल-वृत्तियों, श्रिष्ठिछाल वृत्तियों; विद्यावृत्तियों, पदकों श्रीर पारितोधिकों को संस्थित करना ;
 - (ढ) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना ; ग्रीर
- ं(ण) प्रन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपवन्धित किए जाने हों, भा किए जा सकेंगे ।

29--(1) राज्य सरकार, प्रथम परिनियमावली बना सकती है श्रीर इस ग्राधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के भीतर समय-समय पर उसमें इसी प्रकार संशोधन कर सकती है और ऐसा संशोधन उस दिनांक से भूतलक्षी हो सकता है जो राज्य सरकार द्वारा बनायी गृणी प्रथम परिनिश्मावली के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व का न हो ।

परिनियम कैसे बनाय जायेंगे

- (2) कार्यं परिषद् किसी समय नये या स्रतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकती है।
- . (3) कार्यं परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना जिससे विश्व-विद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार दी गयी राय लिखित रूप में होगी और उसे कुलाधिपित को-प्रस्तुत किया जायगा।
- (4) प्रत्येक नये परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में संशोधन मां उसका निरसन फुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर श्रपनी अनुमति से सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं या उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकते हैं।

(5) कार्यं परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस दिनांक से जब कुला धिपति द्वारा प्रमुक्ति दे दी जाय या ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जो उनके द्वारा विनिद्धिट विद्या जाय, प्रभावी होगा।

अध्यादेश

- 30--(1) इस ग्रधिनियम ग्रौर परिनियमों के उपवन्धों के ग्रधीन रहते हुए, ग्रध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिये उपवन्ध किये जा सर्जेंगे जिनके लिए इस ग्रधिनियम या परिनियमों द्वारा उपवन्ध किया जाना हो या श्रध्यादेशों द्वारा किये जायं।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिता, प्रध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, प्रथित्—
 - (क) विश्वविद्यालय में छालों का प्रवेश और उनका नामाविलगत होना ग्रीर इस प्रकार बना रहना ;
 - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विश्विष्टता के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;
 - (ग) वे शर्ते जिनके अधीन छालों को विक्लिविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा में प्रविष्टि दी जायंगी और वे ऐसी उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात होंगे;
 - (प्र) छात्र वृत्तियां, प्रधि छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धंन छात्रवृत्तियां, पदक भ्रोर पारितोषिक प्रदान करने की शर्ते ;
 - (क्र) छात्रों के निवास ग्रीर छात्र निवास ग्रीर छात्रावासों के प्रबन्ध की गर्ते;
 - (व) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना ;
 - (छ) श्रभिभावक -शिक्षक एसोसियेशन की रचना ;
 - (ज) फीस जो विख्वविद्यालय द्वारा ली जा सके ;
 - (क्ष) वे शर्तो जिनके प्रधीन व्यक्तियों को छात निवास और छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त आई माना जाए ;
 - (ञा) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, श्रन्तरीक्षकों और सारणिकारों की नियुक्ति की शर्ते श्रीर रीति श्रीर कर्तव्य ;

(ट) परीक्षाओं का संचालन ुः ।

- (ठ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया पाने वाहा पारिश्रमिक श्रीर भत्ता जिनके श्रन्तर्गत याता श्रीर दैनिक भन्ते भी हैं।
- 31--(1) विश्वविद्यालय के लिए प्रथम श्रध्यादेश राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा

अहणदेश किस प्रकार बनाया काम

परन्तु ऐसे किन्हीं भ्रध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उप-बन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलिधिपित आदेश द्वारा, भ्रध्यादेश में ऐसे अनुकलन और उपास्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकींगे जैसे कि आवश्यक या उपास्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकींगे जैसे कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सबींगे कि अध्यादेश ऐसे दिनांक से जैसा कि आदेश में विनिद्धि समीचीन हो और अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपित नहीं की जायगी।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकती है:

्मरन्तु ऐसा कोई श्रध्यादेश नहीं बनाया जायगा---

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों और रीति और उनके कर्तव्यों और (ख) जिससे परीक्षकों को नियुक्ति की शर्ता पर प्रभाव पड़े जब तक कि वह किसी पाठ्यकम की परीक्षाओं के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध सकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हों और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्राह्म विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ; या

(ग्) जिससे कि विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों की संख्या, ग्रह ताओं ग्रीर उपलब्धियों या विश्वविद्यालय की भाग या व्यय पर प्रभाव पड़े जब तक कि उसका शारूप राज्य सरकार द्वारा भनुमोदित न कर दिया गया हो।

विनियम

- (3) कार्य परिषद् को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्राकृष को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः या भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सिकेगी जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।
- ्री (4) कार्य परिषद् द्वारा वनाये गये सभी प्रध्यादेश उस दिनांक से प्रभावी होंगे; जैसा वह निदेश दें और कुलाधिपति को यथाशक्य शीध्र प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- (5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् को उपधारा (2) के परन्तक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट श्रध्यादेशों से भिन्न श्रध्यादेशों को श्रननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा श्रीर कार्य परिषद् को ऐसे श्रननुज्ञात करने की सूचना श्राप्त होते के दिनांक से ऐसे श्रध्यादेश शून्य हो कार्येगे।
- (6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग.) में निर्दिष्ट श्रध्यादेशों से भिन्न किसी श्रध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उन्हें अनुनुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का श्रवसर न मिला हो। इस उपधारा के श्रधीन निलम्बन का कोई श्रादेश ऐसे श्रादेश के दिनोंक से एक मास की समास्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
- 32—(1) इस श्रधिनियम, परिनियमों श्रीर श्रध्यादेशों के उपवन्धों के श्रधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई प्रधिकारी या निकाय निम्नुलिखित के लिए विनियम बना सकेगा—
 - (क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए श्रपेक्षित सदस्यों की संख्या का निर्धारण;
 - (ख) ऐसे समस्त विषयों के उपवृत्य जो इस श्रधिनियम, परिनियमों या श्रध्यादेशों क्षारा विनियमों से उपविचित किये जाने हों ;
 - (ग) किसी ऐसे अन्य विषय के उपबन्ध जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो श्रीर जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम श्रीर अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हो।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या प्रन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों को वैठकों के दिनांक की और उनमें किये जाने बाल कार्य की सूचना देने और ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों का श्रीभलेख रखने के उपवन्य होंगे।
- (3) सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को कार्य परिषद् यह निदेश दे सकेंगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रहे कर देया उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिद्धित किया जाय और तद्परान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रहे करेगा या उत्तमें संशोधन करेगा:

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय किसी ऐसे निदेश से असत्वट हो तो,वह कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जो कार्य-परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश देसकेंगे, जो वह ठीक समझें।

- (4) श्रध्यादेशों के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा विनियम का प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के प्रस्तात ही विनियम बना सकेगी।
- . (5) विद्यापरिषद् को उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन या उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये नापस कर सकेगी।

सध्याय--सात

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

33--(1) विश्वविद्यालय की वाधिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसकी वाधिक बैठक के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, और सभा अपनी वाधिक बैठक में उसपर विचार करेगा।

ें (2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संस्थित करेगी जो उस पर ऐसी कीर्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

34--(1) विश्वविद्यालय के वाधिक लेखा भीर तुलन-पृत्न कार्य परिपद के निदेशाधीन तयार किए जाएंगे भीर किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदेशत या प्राप्त समस्त घन भीर ऐसी समस्त घनराशि जिनका वितरण या भुगतान किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये जेखा गेंप्रविष्ट किया जायगा। वार्षिक रिपोर्ट

लेखा धौर लेखा परीक्षा

- (2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्न की एक प्रतिलिपि राष्य सरकार को प्रस्तृत की जायगी जो उनकी लेखा परीक्षा करायेगी ।
- (3) वार्षिक लेखा ग्रीर तुलन-पन्न की लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा ग्रीर उनकी प्रतियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्य परिषद् द्वारा सभा ग्रीर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी ।
- (4) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक के पूर्व जो विहित किया जाय, ग्रागामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।
- (5) व्ययकी प्रत्येक नयी भद, जो यथाविहित धनराणि से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलत करने की प्रस्थापना हो, कार्य-परिषद्द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायगी जो उस पर ग्रपनी सिफारिशें कर सकेगी।
- (6) कार्य परिषद् वित्त सिमिति की सिफारिशों ५२, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् बजट का ग्रन्तिम रूप से ग्रनुमोदन करेगी ।
- (7) वार्षिक लेखा,तुलन-पत भ्रीर लेखा परीक्षारिपोर्ट पर सभा ग्रपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी भ्रीर सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिकों कर सकेगी भ्रीर उसकी सूचना कार्य परिषद् को देगी।
- (8) कुलपित या कार्य परिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो या तो बजट में स्वीष्टत न हो, या जो बजट में स्वीकृत होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो।

ग्रध्याय⊸∵ग्राठ

प्रकीण स्रौर संक्रमणका लीन ुउपबन्ध

विश्वविद्यालय के कार्यकलाय का निरीक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति

- 35—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दें, विश्वविद्यालय का जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्म का भी निरीक्षण कराने या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।
- (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के ग्रधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिष्णय करे, वहां वह उसकी सूचना कुलपित के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे पिरोक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का श्रधिकार होगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को अपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और को अपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने अपरे वस्तावें को अस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सस्तावें जो अपेतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को यगा और संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गंत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गंत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।
- (4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपित को सम्बोधित करेगी और कुलपित कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने योग्य कार्य-वाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा।
- (5) तत्पश्चात् कुलपित ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
- (6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समक्षे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

- (7) राज्य सरकार कुलाधिपति को उपधारा (1) के ब्रघीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की ख्रीर उपधारा (5) क अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की ख्रीर उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की ख्रीर ऐसे निदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की भी एक प्रति मेजेगी।
- 36--(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी श्राकिस्मक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो श्रीर रिक्ति की पूर्ति करनी वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस श्रविशष्ट श्रविध के लिये होगा जिसके लिये वह क्यक्ति जिसके स्थान की पूर्ति वह करता है सदस्य बना रहता।

भाकस्मिक रिक्तियों की पृति

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे, वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बहिरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथा-विधि नियुक्त न हो जाय।

37--यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथा-विधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं था विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा बनाये गये या अनुमोदित परिनियमों या अध्यादेशों था विनियमों से भिन्न किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

कुला घिपोल को निर्देश

परन्तु इस घारा के ग्रधीन कोई निर्देश---

(क) उस दिनांक से, जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, सीन मास से प्रधिक समय के पश्चात् नहीं किया जायगा;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारीया ग्रधिकारीया किसी व्यथित ध्यक्तिसे भिन्न किसी व्यक्ति द्वारानहीं किया जायगा:

परन्त् यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में --

- (क) स्वतः कार्यंवाही कर सकते हैं या पूर्वंवर्ती परन्तुक में उल्लिखिझ स्रविध की समान्ति के पक्चात कोई निर्देश ग्रहण कर सकते हैं;
- (ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के द्वारे में किसी विद्याद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पानता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्यगन धारेश देसकते हैं जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझें।

38--इस श्रिधिनियमं या इसके श्रिधीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या श्रिष्ट्यादेशों के श्रिमुत्तरण में किये गये या किये जाने के लिए सात्पियत किसी कार्यके सम्बन्ध में राज्य सरकार या उसके किसी श्रिधिकारी या विश्वविद्यालय या उसके किसी श्रिधकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

बास का वर्जन

39--(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या सिमित की किसी रसीद, ग्रावेदन-पन्न, सूचना, ग्रादेश, कार्यवाही या संकल्प या श्रन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रिजस्टर की किसी प्रविद्यि की प्रतिकिपि, जो शुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, ऐसी रसीद, श्रावेदन-पन्न, सूचना, श्रावेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रिजस्टर में प्रविद्यि होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्रहण की जायेगी और उसमें श्राभितिखित विषय श्रीर व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में प्रहण की जायेगी यदि मूल प्रति प्रस्तुत होने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

विषयिवद्यालय के भिष्ठांख को सिद्ध क रने की रोति

(2) विश्वविद्यालय के किसी. अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रिजस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तवंस्नुण उपधारा (1) के अधीन सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषय और ध्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी जब कि विश्लेष कारण से न्यायालय द्वारा एसा आदेश न दिया जाय।

नियम बनाने की श क्ति

ग्रन्तिरम ग्रधिकारियों की नियक्ति ग्रीर **घ**न्तरिम प्राधिकारी का गठन

40--राज्य सरकार, ग्रधिस्चनां द्वारा, इस ग्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने को लिए नियम बना सकती है।

- 41--(1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, विश्वियद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारी का गठन करेगी।
- (2) उपधारा (1) के ब्रधीन नियुक्त ब्रधिकारी खीर गठित प्राधिकारियों के सदस्य, इस ग्रिधिनियम के उपबन्धों के श्रेनसार ग्रिधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होन तक या उसके पूर्व के ऐसे दिनों के तक जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिद्धिष्ट किया जाय, पद धारण करेंगे:

परन्त राज्य सरकार, ग्रधिसुचना द्वारा ऐसे ग्रधिकारियों या ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अवधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

कठिनाइयों की दूर करनेकी शिवत

- 42--(1) यदि इस प्रधिनियम के उपबन्धों के साथिन्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, समय-समय पर गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध कर सकती है जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन या उपनितर यदि कोई हो, भी है जो उसके सार पर प्रभाव न डाले, जैसा उसे कठिनाई को दूर करने के लिए ब्रावश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।
- (2) उपधारा (1) के ग्राधीन किया गया प्रत्येक ग्रादेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।
- (3) उपद्यारा (1) के ब्रधीन किसी ब्रादेश पर किसी न्यायालय में इस ब्राधार पर भापत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निदिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दर करना अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाय

- 43-(1) उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराष अम्बेदकर विश्वविद्यालय अध्यादेश, उत्तर प्रदे 1989 एतद्वारा निसीसत किया जाता हैं।
- (2) एसे निरसन के होते हुए भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के संख्या उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तट्नुरूप उपबन्धों सन् के अधीन कृत कार्य या कार्यबाही समभी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

ग्राज्ञा से, नारायण दास, सचिव ।

No. 1939 (2) /XVII-V-1-1 (KA) 35-1989 Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pnadesh Doctor Bhim Rao Ambedkar Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1989); as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH DOCTOR BHIMRAO AMBEDIAR UNIVERSITY ACT, 1989

> [U. P. Act no. 25 of 1989] (As passed by the U.P. Legislature)

to provide for the establishment of Doctor Bhimrao Ambedkar University at Lucknow in Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, it is expedient to establish and incorporate a unitary teaching and research residential University at Lucknow as a memorial of the life and works of the late Doctor Bhimrao Ambedkar;

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :--

CHAPTER I

Preliminary

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Doctor Bhimrao Short title and Ambedkar University Act, 1989. commencement
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act,—

Definitions

- (a) 'Academic Council', 'Court' and 'Executive Council' mean respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University:
 - (b) 'faculty' means a faculty of the University;
- (c) 'Hall' means a unit of residence for students maintained by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions;
- (d) 'hostel' means a unit of residence for students maintained by the University;
 - (e) 'prescribed' means prescribed by the Statutes ;
- (f) 'regulation' means a regulation made by the University under this Act;
- (g) 'rule' means a rule made by the State Government under this Act:
- (h) 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations', mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (i) 'teacher' includes a professor, Associate Professor, Assistant Professor or any person appointed under this Act for the conduct of teaching or research work in the University;
- (j) 'University' means the Doctor Bhimrao Ambedkar University established under section 3.

CHAPTER II

The University

(1) There shall be established at Lucknow a unitary, teaching Establishment and research residential University by the name of Doctor Bhimrao Ambedkar University.

and incorporation of University

- (2) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted a body corporate by the name of Doctor Bhimrao Ambedkar University.
- The University shall be open to all persons irrespective of class University open or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the Univer- to all classes and sity to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

5. The objects of the University shall be to disseminate and advance Objects of the knowledge, wisdom and understanding by teaching and research and by University.

ार प्रव ध्यादः ख्याः

न् 19 高いままする あいきい

 (\tilde{j})

the example and influence of its corporate life and to endeavour to promote the study of the principles for which Bhimrao Ambedkar worked during his life time, namely, national integration, social justice, democratic way of life, the history of the Constitutions of the world, advance technology and modern sciences.

Powers and duties of the University

- 6. The University shall have the following powers and duties, namely:—
 - (a) to provide for post-graduate teaching and conduct of research in such disciplines of such branches of learning as the University may from time to time determine;
 - (b) to conduct experiments in new methods of education in order to arrive at satisfactory standards of such education;
 - (c) to prescribe courses and curricula for post-graduate studies;
 - (d) to hold examinations and grant in such manner, such degrees or other academic distinctions and titles in post-graduate education as may be laid down in the Statutes and Ordinances;
 - (e) to confer honorary degree or other academic distinctions in such manner and under such conditions as may be laid down in the Statutes;
 - (f) to co-operate or collaborate with other Universities and Authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
 - (g) to institute and award scholarship, fellowships and prizes as may be laid down in the Statutes and Ordinances;
 - (h) to institute and maintain halls and hostels;
 - (i) to supervise and control the residence and regulate the discipline of the students and to make arrangements for promoting their health;
 - (j) to receive grants, gifts, donations, benefactions, bequests and transfers of properties, both movable and immovable, from donors, benefactors, testators or transferors, as the case may be;
 - (k) to deal with property belonging to, or vested in, the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;
 - (1) to demand and receive such fees as may be laid down in the Ordinances;
 - (m) to take decisions on questions of policy relating to the administration of the affairs and working of the University;
 - (n) to create such posts and to appoint thereto such officers, teachers and other employees as may be necessary for carrying out the functions of the University;
 - (o) to do all such other acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University.

CHAPTER III

Officers of the University

Officers of the University

- 7. The following shall be the officers of the University-
 - (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Finance Officer;
 - (d) the Registrar;

- (e) the Dean of the Faculties;
- (f): the Dean of Students Welfare;
- (g) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.
- 8. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. The The Chancellor shall, by virtue of his office be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at the meeting of the Court, and at any convocation of the University.
- (2) Every proposal for the conferment of an honorary degree or other honorary academic distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
- (4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.
- 9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of The Vice-Chanthe University and shall be appointed by the Chancellor in the manner laid cellor down in the Rules.
- (2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

- (3) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.
- (4) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur, by reason of leave or any other cause not being the expiration of term, and it can not be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions prescribed, the Chancellor may appoint any suitable person to be the Vice-Chancellor for a term not exceeding six months and may, from time to time, extend the term of such appointment so however, that the total term of such appointment, including the term specified in the original order, does not exceed one year:

Provided that the Vice-Chancellor appointed under this sub-section shall cease to hold office on assumption of office by the Vice-Chancellor appointed under sub-section [(1)].

- (5) Where the office of the Vice-Chancellor is vacant, the Senior most Professor shall discharge the duties of the Vice-Chancellor until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (4), as the case may be, assumes office.
- 10. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall-

duties of the y

- (a) exercise general supervision and control over the affairs of the University;
 - (b) give effect to the decisions of the authorities of the University;
- (c) in the absence of the Chancellor, preside at the meetings of the Court and at any convocation of the University;
- (d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;
- (c) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.
- of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.
- (3) The Vice-Chancellor shall have the right to speak and otherwise take part, in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

- (4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor possess all such powers as may be necessary in that behalf.
- (5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened, meetings of the Executive Council, the Court, Council and the Finance Committee:

Provided that he may delegate such power to any other officer of the University.

(6) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same can not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act, to deal with it, the vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to such officer, authority, or other body as, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if such officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.
- (8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under subsection (6) involves the appointment of an officer or a teacher of the University, such appointment shall terminate on an appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.
- 9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers laid down by the Statutes and the Ordinances.
- 11. (1) There shall be a Finance Officer for the University, appointed by the State Government by notification and his remuneration and allow-Finance ances shall be paid by the University. The officer
 - (2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
 - (3) He shall have the right to speak and otherwise to take part, in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
 - (4) The Finance Officer shall have the duty-
 - (a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment);
 - (b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;
 - (c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

- (d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.
- (5) The Finance Officer shall have access to, and may require the production, of, such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.
- (6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.
- (7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.
 - 12. (1) The Registrar shall be a whole-time Officer of the University.

The Registrar

- (2) The Registrar shall be appointed in accordance with, and his conditions of service shall be governed by, the rules.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex-officio Secretary of the Executive Council, the Court the Academic Council, the Admissions Committee and the Examinations Committee and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.
- (5) Subject to the superintendence of the Examinations Committee, the Registrar shall conduct the Examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
- (6) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the rules.
- 13. The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

Other Officers

CHAPTER IV

Authorities of the University

- 14. The following shall be the authorities of the University-
- Authorities of the University,

- (a) the Executive Council;
- (b) the Court;

4

- (c) the Academic Council;
- (d) the Finance Committee;
- (e) the Boards of Faculties;
- (f) the Selection Committees for appointment of teachers;
- (g) the Admissions Committee;
- (h) the Examinations Committee;
- (i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.
- 15. (1) The Executive Council shall consist of-

Constitutica of

- (a) the Vice-Chancellor-ex-officio, who shall also be the Chairman Council thereof:
- (b) the Deans of two Faculties, by rotation in the manner prescribed ex₁officio;

- (c) four persons to be elected by members of the Court from among such of them as are not, enrolled as students, or in the service, of the University;
- (d) four persons of academic eminence to be nominated by the Chancellor.
- (2) All the members of the Executive Council other than ex-officio members, shall hold office for a term of three years.
- (3) No person shall be elected or nominated a member of the Executive Council for more than two consecutive terms.
- (4) Notwithstanding anything in sub-section (1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a post-graduate.
- (5) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such, or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or tutor or for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation—In this section "relative" means the relations defined in section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Powers and duties of Executive Council

- 16. (1) The Executive Council shall be the principal Executive body of the University, and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely:—
 - (i) to hold and control the property and funds of the University;
 - (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
 - (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
 - (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
 - (v) to prepare the budget of the University;
 - (vi) to award scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;
 - (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, and to provide for the filling of temporary, casual vacancies in their posts:
 - (viii) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;
 - (ix) to arrange for and direct the inspection of halls, hostels and other places of residence of Students;
 - (x) to direct the form and use of the common seal of the University;
 - (xi) to regulate and enforce discipline among the members of teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;
 - (xii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;
 - (xiii) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India with the like power of varying such investment from time to time;

- (xiv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xv) to enter into, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University;
- (xvi) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred, except by way of letting from month to month in the ordinary course of management, by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise, nor shall any money be borrowed or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.
- (3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created except with the prior approval of the State Government.
- (4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University shall be such as may be approved by the State Government.
- (5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.
- (6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.
- (7) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court, the action taken or, as the case may be, the reasons for non-acceptance of the resolution.
- (8) The Executive Council may, subject to any condition laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University, or to a Committee appointed by it.
 - 17. The Court shall consist of the following members, namely:-

The Court.

Class I-Ex-officio Members.

(i) the Chancellor;

οŧ

ce i

- (ii) the members of the Executive Council;
- (iii) the Finance Officer;

Class II-Representatives of Teachers, etc.

- (iv) all heads of the department of the University;
- (v) the Deans of Faculties of the University;
- (vi) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls of the University, selected by rotation in the manner prescribed;
 - (vii) five teachers to be selected in the manner prescribed;

Class III-Representatives of students.

(viii) one student from each of the faculties to be selected in the manner prescribed;

Class IV-Representatives of the State Legislature

- (ix) one member of the Legislative Council to be elected by it;
- (x) two members of the Legislative. Assembly to be elected by it;
- (2) The term of office of the members, other than ex-officio members, nominated or elected under this section, shall be three years from the date of their nomination or election, as the case may be.

Powers and duties of the Court.

- 18. The Court shall be an advisory body and subject to the provisions of this Act, it shall have the following powers and functions, namely:—
 - (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
 - (b) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report thereon;
 - (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;
 - (d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

Meeting of the Court.

- 19. (1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court.
- (2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership for the time being, of the Court, convene a special meeting of the Court.

Academic Goune

- 20. (1) The Academic Council shall be the principal Academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances—
 - (a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University;
 - (b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University;
 - (c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (2) The Academic Council shall consist of the following members, namely—
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Deans of all Faculties of the University;
 - (iii) all Heads of the Department of the University;
 - (iv) all professors of the University who are not Head of the Department;
 - (v) five teachers to be selected in the manner prescribed;
 - (vi) the Dean of Students Welfare;
 - (vii) the Librarian of the University;
 - (viii) three persons of academic eminence to be co-opted in the manner prescribed.
 - (3) The term of office of members other than the ex-officio members shall be such as may be prescribed.

(1) The Finance Committee shall consist of-21.

The Fine Committee.

- (a) the Vice-Chancellor:
- (b) the Registrar;
- (c) one person, not being a member of the Executive Council or the Academic Council or a person in the service of the University, to be elected by the Executive Council;
- (d) the Finance Officer who shall also be the Secretary of the Committee.
- (2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.
- (3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.
- (1) The University shall have such faculties as may be prescribed.

The Faculties

- (2) Each faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.
- (3) There shall be a Board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties whereof shall be such as may be prescribed.
- (4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold officefor three years.
- (5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for-
 - (a) the organisation and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty;
 - (b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.
- (6) In each department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose apprintment shall be regulated by Statutes.
- (7) The Head of the Department shall be responsible to the Dean for the organisation of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.
- 23. (1) There shall be an Admissions Committee of the University, the constitution whereof shall be such as may be provided for in the Ordinances.

Admissions Com-

Examinations

- (2) The Admissions Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.
- (3) Subject to the Superintendence of the Academic Council, the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University
- 24. (1) There shall be an Examinations Committee in the University, the constitution whereof shall be such as may be provided for in the Ordi- Committee
- 24 (2) The Committee shall supervise generally all examinations of the University including moder: tion and tabulation, and perform the following other functions, namely—
 - (a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them :

- (b) to review from time to time the results of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council;
- (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
- (d) to scrutinise the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalise the same and declare the results of the examinations.
- (3) The Examinations Committee may appoint such number of subcommittees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for the Examinations Committees cr, as the case may be, for a subcommittee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf, under sub-section (3) to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

Other Autho-

25. The contitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER V

Appointment and Conditions of Service of Teachers and officers

Appointment of teachers

2. The teachers and other employees shall be appointed by the Executive Council. The qualifications, the manner of selection and appointment, the emoluments and other conditions of service of the teachers and other employees shall be such as may from time to time be prescribed.

Pensions, Provident Fund, etc. 27. The University shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the State Government, such pension, insurance or provident fund, as the State Government, may deem fit.

CHAPTER VI

Statutes, Ordinances and Regulations

Statutes

- 28. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for—
 - (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University:
 - (b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide;
 - (c) the powers and duties of the officers of the University;
 - (d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of teachers of the University, the maintenance by them of their progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service;
 - (e) the recruitment (including minimun qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service of persons appointed to other posts in the University;
 - (f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
 - (g) the institution of degrees and diplomas;
 - (h) the conferment of honorary degrees:
 - (i) the withdrawal of degrees and dirlomas, certificates and other academic distinctions;
 - (j) the establishment, amalgamation, abolition and re-organisation of Faculties;

- (k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;
- (1) the establishment, abolition and re-organisation of halls and hostels,
- (m) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;
 - (n) the holdings of convocation, if any, and

1.

.

1.

٠. `

- (o) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.
- 29. (1) The State Government may make and may likewise amend the first Statutes from time to time within two years of the commencement of this Act and such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of commencement of the First Statutes made by the State Government.

Statutoshow nado

- (2) The Executive Council may, at any time make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).
- (3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statutes affecting the slatus, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.
- (4) Everynew Statute or addition to a Statute or any amendment or reput of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefore in or remit it to the Executive Council for further consideration.
- (5) A Statute passed by the Executive Council shall have e ject from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.
- 30. (i) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Orlina aces may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

Ordinance

- (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance: shall provide for the following matters, namely:—
 - (a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;
 - (c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;
 - (d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes;
 - (e) the conditions of residence of students and the management of halls and hostels;
 - (f) the maintenance of discipline among the students of the University;
 - (g) the formation of parent-teachers association;
 - (h) the fees which may be charged by the University;
 - (i) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instructions in halls and hostels;
 - (j) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;
 - (k) the conduct of examinations;
 - (i) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons, employed on the business of the University.

Ordinances how

31. (1) The First Ordinances of the University shall be made by the State Government by notification:

Provided that for the purpose of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the provision of this Act and the Statutes, the Chancellor may by order make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and, provided that the Ordinances shall from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations and modifications so made and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(2) Save as otherwise provided in this section, the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinarces or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-section (1):

Provided that no Ordinance shall be made-

- (a) affecting the admission of students, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or
- (b) affecting the conditions and made of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations of any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or
- (c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income of expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.
- (3) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.
- (4) All Ordinances made by the Executive Councilshall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as scon as may be to the Chancellor.
- (5) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than the so referred to include (c) of the proviso to sub-section (2) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.
- (6) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

Regulatins

- 32. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations—
 - (a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;
 - (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations;
 - (c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted there and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.
- (3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or former d in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall therefore cancel or amend the Regulation accordingly:

Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chanceller whe may after obtaining the views of the Executive Council

- (4) The Academic Council may subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination; degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerred has proposed a draft of the same.
- (5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but mayreturn it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

CHAPTER VII

Annual Reports and Accounts

33. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and the Court shall consider it in its annual meeting.

Annual Report

- (2) The Court may, by resolution, make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may tak such action thereon as it thinks fit.
- 34. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all money according to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance-speet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

- (3) The annual accounts and the balance-sheet as audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted. by the Executive Council to the Court and the State Government.
- 1) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the hudget for the ensuing year.
- (5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which it is proposed to include in the budget shall be referred by the Executive Coincil to the Finance Committee which may make recommedations thereon.

(6) The Executive Council shall, after considering the recommendations, if any, of the Finance Committee approve the budget finelly.

(7) The annual accounts, the bal nee-sleet and audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution, make recommendations with reference thereto and communicate the same o the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organisation or Foundation, save in accordance with the terms of such grant.

CHAPTER VIII Miscellaneous and Transitory Provision

35. (1) The State Government shall have the right to cause an inspec-. tion to be made by such person or persons as it may direct, of the University Government to including its buildings, libraries. laboratories, workshops and equipments and cause inspection also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the to be made in University or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect the affairs of the of any matter connected with the administration and finances of the University. University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquire to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Vice-Chancellor and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquity as the representative of the University and he shall have the right to be heard as such.

Account and audit.

r sub-

Parice N of 1989

- (3) The person or persons appointed to inspect or inquire under subsection (1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the proceeding before him shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- (4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the view of the State Government together with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.
- (6) If the authorities of the University do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation which such authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authorities of the University shall comply with such directions.
- (7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance with such direction.

Filling of casaul vacancies

- 36. (1) Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such Authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- (2) A person, who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body and thereafter till his successor is duly appointed.

Reference to the chancellor

37. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University including any question as to the validity of a Statute, Ordinances or Regulation, not being a Statute or Ordinances or Regulation made or approved by the State Government or by the Chancellor is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor shall be final:

Provided that no refenence under this section shall be made-

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
- (b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved;

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances

- (a) act suo motu or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;
- (b) where the matter referred relates to a dispute about the election, and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such order of stay as he thinks just and expedient.

No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or its officers or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported to be done in pursuance of this Act or the rules or the Statutes of the Ordinances made thereunder.

Bar of Suit

(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the orginal thereof would if produced have been admissible in evidence.

Mode of proof of University record.

- (2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, he required to produce any document, register or other record of the University the contents whereof can be proved under sub-section (1) or to appear as witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court of law made for special cause.
- The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to nake rules

(1) The State Government shall appoint interim officers of the University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the University in such manner as it thinks fit;

Appointment 'ef interim officers and Constitution of interim autho-Tities.

(2) the Officers appointed and members of the authorities constituted under sub-section (1) shall hold office until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with the provisions of this Act or such other earlier date as may be specified, by the State Government in this behalf:

U.P. Ordi-

Provided that the State Government may, by notification, extend the term of such officer or the members of such authorities for a period not exceeding one year. 小型型。開題

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within a period of two years from the commencement of this Act, by order published in the Gazette, from time to time, make such provision including adaptation or modification, if any, of the provisions of this Act not affecting the substance thereof, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to move difficulties

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Lagislature.
- (8) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court of law on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or was required to be removed.
- 43. (1) The Uttar Pradesh Doctor Bhimrao Ambedkar! University of 1989 of Ordinance, 1989 is hereby repealed.

Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if this Act were in force at all material times.

> By order, NARAYAN DAS, Sachiv.